



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट थाना -मेरापुर

दिनांक :- 16.10.2025

थाना मेरापुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग से सम्बन्धित नामजद/वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री राजेश कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेरापुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 123/2025 धारा 115(2)/85/80(2) BNS व 3/4 DP ACT से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुमित पुत्र स्व0 अनार सिंह सिसोदिया नि0 ग्राम उमरैल थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.सुमित पुत्र स्व0 अनार सिंह सिसोदिया नि0गण ग्राम उमरैल थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- दिनांक 24.09.2025 को वादी द्वारा थाना मेरापुर पर को सूचना दी गयी कि अभि०गण द्वारा वादी की बहन से अतिरिक्त दहेज की मांग व प्रताड़ित करते हुए गला दबाकर हत्या कर दी गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मेरापुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 123/2025 धारा 115(2)/85/80(2) BNS व 3/4 DP ACT बनाम 01.सुमित आदि 06 पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में थाना मेरापुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद/वाछित अभियुक्त सुमित उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त ने पूछताछ पर अपने जुर्म से इंकार करते हुये अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से मा० न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त सुमित उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु०अ०सं० 123/2025 धारा 115(2)/85/80(2) BNS व 3/4 DP ACT

गिरफ्तार करने वाली थाना मेरापुर पुलिस टीम:-

1. उ०नि० अक्षय कुमार
2. का० अमित कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

थाना नवावगंज

दि०- 16.10.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त बिलायती पुत्र अमरसिंह निवासी ग्राम राजारामपुर मई थाना नवावगंज जिला फर्रुखाबाद मु०अ०सं 92/2015 वाद स०-166/2015 धारा 308,504,323 भा०द०वि० थाना नवावगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभि० के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 16.10.2025 को मा० न्यायालय ई०सी० एक्ट कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री श्रवण कुमार



को०मो० गौरव यादव



पैरोकार का० कृष्णवीर सिंह



फतेहगढ़ पुलिस



*** मिशन शक्ति 5.0 ***

#OperationConviction

थाना कम्पिल

दि०-16.10.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त पप्पू पुत्र कादर खाँ निवासी रुदायन थाना कम्पिल जिला फर्रुखाबाद मु०अ०सं० - 155/1994 वाद स०- 698/2003 धारा 354 भा०द०वि० थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 16.10.2025 को मा० न्यायालय जे०एम०कायमगंज कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 02 वर्ष का कारावास व 01 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एपीओ - श्री अंकिता कुमार



को०मो० हे०का० सुबोध कुमार



पैरोकार का० दीपक सैनी



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट- जनपद फतेहगढ़

दिनांक :-16.10.2025

जनपद फतेहगढ़ में अवैध रूप से आतिशबाजी के भंडारण व विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई की गई है। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा 01 अभियोग पंजीकृत करते हुए 02 बोरी व 04 गत्ते कार्टून आतिशबाजी बरामद की तथा 01 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 15.10.2025 को थाना शमसाबाद पर 02 बोरी व 04 गत्ते कार्टून आतिशबाजी बरामद कर 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0-200/25 धारा-05/9B(1)(b) विस्फोटक अधिनियम 1884 पंजीकृत किया गया।



थाना शमसाबाद से गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. राजू सिंह उर्फ सतेन्द्र सिंह पुत्र सुशील बाबू निवासी ग्राम खुडना धमगवां शमसाबाद थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़।

मीडिया सेल फतेहगढ़।



मिशन शक्ति 5.0

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलम्बन

उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं



बबन, उत्तर प्रदेश, भारत

नाम-रहित सड़क, बबन, उत्तर प्रदेश 209501, भारत

Lat 27.395286° Long 79.361334°

16/10/2025 01:09 PM GMT +05:30



थाना- नवाबगंज



मिशन शक्ति 5.0



कमालगंज, उत्तर प्रदेश, भारत

7j8j+c8f, कमालगंज, उत्तर प्रदेश 209749, भारत

Lat 27.266106° Long 79.63106°

16/10/2025 10:08 AM GMT +05:30



थाना कमालगंज

मिशन शक्ति 5.0 कोतवाली कायमगंज





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना शमसाबाद

[#MissionShakti](https://twitter.com/MissionShakti)



मिशन शक्ति 5.0

थाना मऊदरवाजा





मिशन शक्ति 5.0

महिला थाना





मिशन शक्ति 5.0



थाना राजेपुर





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



कोतवाली मोहम्मदाबाद



[MissionShakti](https://twitter.com/MissionShakti)



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना-कादरीगेट

[#MissionShakti](#)



मिशन शक्ति 5.0



थाना मेरापुर





मिशन शक्ति 5.0



थाना - जहानगंज

मिशन शक्ति

मां की सुरक्षा
मां की सम्मान
मां की स्वावलम्बन





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



कोतवाली-फर्रुखाबाद



[MissionShakti](https://twitter.com/MissionShakti)



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



GPS Main Camera

#MissionShakti

क्षेत्राधिकारी नगर

FATEHGARH POLICE





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना-फतेहगढ़